संख्या-39/2026/49-3099/14/2023- I/1491113/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/767676/2026/कृषि-निवेश/बी-310 दिनांक लखनऊ 07-09-2026 तथा पत्र संख्या-I/808598/2026/कृषि-निवेश/बी-310 दिनांक लखनऊ 29-09-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 150.00 करोड़ के सापेक्ष पी0सी0एफ0 द्वारा क्रमश: ब्याज मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रूपये 890.76 लाख तथा भण्डारण मद एवं ब्याज मद में धनराशि रूपये 1149.97 लाख के प्राप्त बिल के प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण 27 सब्सिडी की मद में प्राविधानित धनराशि रूपये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

150.00 करोड़ के सापेक्ष पी0सी0एफ0 द्वारा अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत जुलाई,2026 ब्याज मद में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निमनवत तालिका-I के अनुसार हुए धनराशि रूपये 890.76 लाख (रूपये आठ करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार मात्र) तथा पी0सी0एफ0 ने अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत हुए माह जुलाई, अगस्त 2026 में व्यय के भण्डारण मद एवं ब्याज मद में व्यय हुए निम्नांकित तालिका-II के अनुसार धनराशि रूपये 1149.97 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 2040.73 लाख (रूपये बीस करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) के प्राप्त बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निम्न (तालिका- I व तालिका-II) विवरणानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित नियमों व शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

तालिका-I

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
						सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	
1	पी0सी0एफ0	जुलाई,2026	2694/20.08.2026	890.76	--	--	--	890.76
		योग		**890.76**	--	--	--	**890.76**
	सहकारी संस्थाओं का योग			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	सकल योग			**890.76**				**890.76**

तालिका-II

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
						सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	
1	पी0सी0एफ0	जुलाई, 2026	3183/ 24.09.2026	--	320.57	--	--	320.57
		अगस्त, 2026	3184/ 24.09.2026	829.40	--	--	--	829.40
		योग		**829.40**	**320.57**	--	--	**1149.97**
	सहकारी संस्थाओं का योग			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	सकल योग			**829.40**	**320.57**	**--**	**--**	**1149.97**

<u>नियम/शर्तें/ प्रतिबन्ध:-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण तथा धनराशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय, जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो और किसी भी दशा में बिलों के भुगतान में दिवरावृत्ति न हो।

(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भणडारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के बिलों के भुगतान में दिवरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वितृतीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्राविधान की सीमा तक सीमित रखा जाय तथा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत बिलों को भुगतान हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है तथा इसके पूर्व इन बिलों का भुगतान किसी भी अन्य सत्रोतो से नहीं किया गया है।

(9) प्रशनगत योजना के संबंध में गत व्तितीय वर्ष 2026-27 में जारी दिशा- निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या-I/1421861/2026, दिनांक 05.08.2026 में निर्धारित व्यवस्था का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कियाजायेगा।धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2040.73 लाख (रूपये बीस करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 18 लेखाशीर्ष 2425008000500 रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना मानक मद-27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026- 231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ०प्र०।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6) अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(कृ0नि0), सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।
9) आहरण एवं वितरण अधिकारी, सहकारिता मुख्यालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
11) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।